न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 73/2025 GCMS 2025/143

वादीगण :–

1. बींजाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बड़ागांव हाल निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. प्रभुराम पुत्र जेठाराम
2. मोहनराम पुत्र जेठाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बड़ागांव तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी वादी की ओर से

श्री मेवाराम प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 23/04/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1075/19 रकबा 0.0768 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 5.5432 हैक्टयर, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.2500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 891/49 रकबा 0.2500 हैक्टयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 9.7400 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 2 के साथ आया हुआ है। वादपत्र के साथ जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि वादी अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को निर्वाद रूप से काश्त करता आ रहा है, रहवासी मकान बनाकर रहवास करता आ रहा है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के चारों और नींव, सींव कायम कर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने अपने–अपने बंट व हक हिस्से की भूमि को आपसी सहमति से कई वर्षों से बाट कर बंटवारा कर रखा है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि आपसी सहमति से भू–विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर नींव सींव कायम कर अपनी सुविधानुसार काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादी का 1/3 हिस्से की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी 1/3 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से कई वर्षों पूर्व भू–विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मौके पर आपसी सहमति से वादी अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर उपजाउ बना रखी है एवं अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर बाड़, तारबंदी इत्यादि कर काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अविभाजित होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में समस्या आती है। इसलिए वादी को भू–विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादी के हक हिस्से के खसरा नम्बर 891/49 रकबा 0.2500 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर में से रकबा 2.971 हैक्टयर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व नजरी नक्शा में स्थान A से B अंकित अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर seprate holding करवाना चाहता है। खसरा नम्बर 1075/19 रकबा 0.0768 किस्म गै.मु रास्ता वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 का सामलाती रहेगा। जिससे भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। नजरी नक्शे वाद पत्र का एक भाग समझा जावे। वादी मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे में स्थान A से B पर अंकित अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करना चाहता है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजीनाम पेश कर कथन किया है कि मौजा ग्राम पलाड़ा पटवार हल्का पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1075/19 रकबा 0.0768 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 5.5432, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.2500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 891/49 रकबा 0.2500 हैक्टयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 9.7400 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का क्रमशः 1/3, 1/3 हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा हो चुका है। राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 5.5432 हैक्टयर, खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.2500 हैक्टयर की सम्पूर्ण कृषि भूमि व खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर भूमि में से रकबा 0.6000 हैक्टयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के हक हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 891/49 रकबा 0.2500 हैक्टयर की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर में से रकबा 2.9800 हैक्टयर की कृषि भूमि वादी के हक हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 1075/19 रकबा 0.0768 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का सामलाती रखा जावे। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर seprate holding करने का आदेश फरवाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

मौजा ग्राम पलाड़ा पटवार हल्का पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1075/19 रकबा 0.0768 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1083/19 रकबा 3.5800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 5.5432,

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.2500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 891/49 रकबा 0.2500 हैक्टयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 9.7400 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

निम्नवत् तालिका अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम पलाड़ा के खसरा नं.	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	बींजाराम पुत्र जेठाराम, प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	1075/19	0.0768 हैक्टयर	गै.मु. रास्ता
2.	बींजाराम पुत्र जेठाराम	1083/19	3.5800 हैक्टयर में से 2.98 हैक्टयर	बारानी 3
3.	प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	1083/19	3.5800 हैक्टयर में से 0.6 हैक्टयर	बारानी 3
4.	प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	18 19 890/1	0.0400 हैक्टयर 5.5432 हैक्टयर 0.2500 हैक्टयर	गै.मु. बाड़ा बारानी 3 बारानी 3
5.	बींजाराम पुत्र जेठाराम	891/49	0.2500 हैक्टयर	बारानी 3

राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) — सत्यमेव जयते)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– **73/2025** GCMS 2025/143

वादीगण :–

1. बींजाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बड़ागांव हाल निवासी पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. प्रभुराम पुत्र जेठाराम
2. मोहनराम पुत्र जेठाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बड़ागांव तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी.. .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री मेवाराम मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नवत् तालिका अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम पलाड़ा के खसरा नं.	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	बींजाराम पुत्र जेठाराम, प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	1075/19	0.0768 हैक्टयर	गै.मु. रास्ता
2.	बींजाराम पुत्र जेठाराम	1083/19	3.5800 हैक्टयर में से 2.98 हैक्टयर	बारानी 3
3.	प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	1083/19	3.5800 हैक्टयर में से 0.6 हैक्टयर	बारानी 3
4.	प्रभूराम पुत्र जेठाराम, मोहनराम पुत्र जेठाराम	18 19 89[illegible]	0.0400 हैक्टयर 5.5432 हैक्टयर 0.2500 हैक्टयर	गै.मु. बाड़ा बारानी 3 बारानी 3
5.	बींजाराम पुत्र जेठाराम	89[illegible]/49	0.2500 हैक्टयर	बारानी 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौकेक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्री पर्चा

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत....

ओहदा....

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested